

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

पत्र सं०

सिवान दिनांक.....

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा- नथुछाप, थाना नं०- 270, थाना- सिवान, परगना- पचलख, जिला- सिवान के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् मीरापुर-नथुछाप से मोलनापुर जाने वाली पथ में दाहा नदी पर पुल निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल 2, पटना द्वारा सरकारी खर्च पर भूमि ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा- नथुछाप, थाना नं०- 270 के अन्दर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम-बेस 0.12 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अधिघोषित खेसरा नं० इस प्रकार है :- 253 अंश।

अधिघोषित भूमि की चौहद्दी

उत्तर - 252 पूर्ण।

दक्षिण - 215 सड़क।

पूरब - 253 अंश।

पश्चिम- 253 अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खानों की आवश्यकता नहीं है। किन्तु खानों या खनिजों के वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जाएंगे।

यह अधिघोषणा बिहार भू-अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Omendra
14/11/12


समाहर्ता,
सिवान।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञाप सं०-14/डी०एल०ए० सिवान (पुल)-119/12-2979 /रा०, पटना-15, दिनांक-19/12/2012

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो-दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशन करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय सिवान को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा /समाहर्ता, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।